न्यायालय– समाहर्त्ता, सहरसा

अधिग्रहण वाद संख्या– 05/2013

राज्य बनाम अरबिन्द पोद्दार

आदेश

4-3-15

प्रशासनिक कार्य में व्यस्तता के कारण आदेश विलम्ब से पारित किया जा रहा है।

प्रस्तुत अधिग्रहण वाद अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के पत्रांक– 94 दिनांक– 30.01.2013 से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रारंभ किया गया।

अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सहरसा एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सहरसा के साथ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सहरसा के द्वारा रिफ्युजी चौक से करीब 100 गज दक्षिण कहरा ब्लॉक जाने वाली पीच सड़क से सटे पश्चिम मकान मालिक मो0 ओवेस, पिता– मो0 इकराम खॉ के मकान स्थित ट्रक संख्या– 23 बी० 9414 पर अरवा चावल 321 बैग लदे जप्त किया गया। उक्त ट्रक के चालक श्री जितेन्द्र कुमार, पिता– महेश्वर प्रसाद सिंह, थाना– बख्तियारपुर, जिला– पटना ने लदे चावल से संबंधित चलान प्रस्तुत किया गया। चलान के अनुसार बिक्रेता अरबिन्द पोद्दार, क्रेता श्री धनराज देव नयाबाजार, सिल्लीगुड़ी के नाम निर्गत है, जब्त कर सदर थाना सहरसा के परिसर में लाया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–7 ई0सी0 एक्ट के तहत सहरसा सदर थाना में काण्ड संख्या– 711/12 दर्ज करायी गयी है। तत्पश्चात जप्त खाद्यान्न श्री ब्रह्मदेव गुप्ता एवं श्री मनोज पासी, जन वितरण प्रणाली बिक्रेता को जिम्मेनामा पर दिया गया है।

प्रतिवादी मकान मालिक मो० ओवेस, पिता– मो० इकराम खॉ, रिफ्युजी कॉलोनी, सहरसा एवं श्री अरबिन्द पोद्दार, पिता– लखन लाल पोद्दार, साकिन– बटराहा, थाना व जिला– सहरसा को नोटिश निर्गत कर कारण–पृच्छा की मांग की गयी। प्रतिवादी अरबिन्द पोद्दार, पिता– लखन लाल पोद्दार, साकिन– बटराहा, थाना व जिला– सहरसा ने कारण–पृच्छा दाखिल की, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि विपक्षी निर्दोष है और जब्त चावल उसके द्वारा विधिवत चौधरी ट्रेडर्स, दालखोला उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल के बिल नं0– 71 दिनांक– 12.12.2012 को मॉ शक्ति स्टोर रिफ्युजी कॉलोनी, सहरसा के नाम खरीदा था, जिसका टीन नं0– 10513830033 है तथा वजन 161 क्वींटल दर्ज है। उक्त चावल दुर्गा रोडवेज कारपोरेशन के चावल दाल खोलासे सहरसा गाडी संख्या– W 325B 3573 DRC नं0– 355 के द्वारा मंगाया गया

था और दिनांक– 17.12.2012 को ट्रक पर लोड करवाकर क्रेता धनराज देवत राम नयाबाजार, सिल्लीगुड़ी को भेज रहा था, जिसे जप्त कर लिया गया और पुनः विधिवत खरीददार को भेजी जा रही थी, जिसमें दूर–दूर तक सरकारी चावल के कालाबाजारी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जब सरकारी चावल के चोरी होने या कालाबाजारी के संबंध में कोई शिकायत ही दर्ज नही है, तब प्रश्नांकित चावल के अधिग्रहण करने का कोई औचित्य नहीं है। मो० ओवेस, पिता– मो0 इकराम खाँ, रिफ्युजी कॉलोनी, सहरसा का कारण–पृच्छा अप्राप्त।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना। प्रतिपक्षी अनुपस्थित। अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

जिला दण्डाधिकारी, सहरसा द्वारा अधिग्रहण प्रस्ताव को दिनांक– 12.02.2013 को स्वीकृत किया गया है। अतः अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को निदेशित किया जाता है कि जब्त चावल जन वितरण प्रणाली दूकान के माध्यम से ए०पी०एल० दर पर विक्री करवाकर राशि कोषागार में उचित शीर्ष अन्तर्गत जमा करवाना सुनिश्चित करें। इस निदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

04.3.2015

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 513-2 / जिला विधि, सहरसा, दिनांक– 10 मार्च, 2015 ई०

प्रतिलिपि– अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिले के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

7.3.15